उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 21.01.2019

कल दिनांक 20/01/19 को राज्य में उत्पादन के रूप में यूजेविएन लिमिटेड से 8.357 एम0यू0, गामा इंफ्रा गैस प्लांट से 2.362 एम0यू0, श्रावंती गैस प्लांट से 2.351 एम0यू0 सोलर से 0.427 एम0यू0 क्रय के उपरान्त केन्द्रीय पूल से 12.094 एम0यू0, राज्य की अप्रतिबन्धित विद्युत मांग 36.287 एम0यू0 के सापेक्ष राज्य के विद्युत गृहों एवं केन्द्रीय सेक्टर तथा अन्य स्रोतों को सम्मिलित करते हुये कुल उपलब्धता 36.287 एम0यू0 रही।

मा0 प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार की प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना "सौभाग्य" का उत्तराखण्ड राज्य में शुभारम्भ मा0 विद्युत एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार 09.03.2018 को किया गया जिसकी पूर्व में समय सीमा 31 दिसम्बर 2018 तक रखी गई थी जिसको कि अब भारत सरकार द्वारा 31 मार्च 2019 तक बढ़ा दिया गया है। उत्तराखण्ड राज्य की विषम भोगोलिक स्थिति होने पर भी उपाकालि द्वारा योजनान्तर्गत तत्समय तक अविद्युतीकृत घरों की संख्या 2,00,037 के सापेक्ष दिनांक 30.11.2018 को समस्त 2,00,037 संयोजन अवमुक्त कर दिये गये है। इस प्रकार सम्पूर्ण 13 जनपदों को शत प्रतिशत संतृप्त करते हुए लक्ष्य के सापेक्ष 100 प्रतिशत प्रगति प्राप्त कर ली गई है।

प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) योजना को समाचार पत्रों के माध्यम से एवं समस्त प्रदेश में सौभाग्य योजना के तहत विद्युत संयोजन प्राप्त करने वाले इच्छुक लाभार्थियों के लिये सौभाग्य रथ चलाकर भी व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। यदि कोई परिवार विद्युत संयोजन अभी भी लेना चाहें तो उनके द्वारा योजना के अन्तर्गत विद्युत संयोजन प्राप्त करने हेतु उपाकालि के नजदीकी कार्यालय अथवा टोल फ्री न0 1912 एवं परियोजना स्कन्ध के अन्तर्गत तैनात उपखण्ड अधिकारी (7088069777) व सहायक अभियन्ता, सौभाग्य (7900907888) पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।

सम्मानित विद्युत उपभोक्ता अपने विद्युत बिल का भुगतान उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 के वेबसाईट www.upcl.org पर ऑन लाईन भी कर सकते हैं तथा विद्युत सम्बन्धी किसी भी जानकारी/कठिनाईयों के लिये उपाकालि के कस्टमर केअर टोल फ्री न0 1800–419–0405 अथवा 1912 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

(ए0के0 सिंह)
मुख्य अभियन्ता/
एवं मीडिया प्रभारी